न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी -श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :- 166/18 अन्तर्गत धारा 251 'क' Rt Act

अनवान :-

प्रार्थीगण :- नानगाराम 2.चूनाराम 3.लूम्भाराम 4.किशनाराम पि.चिमनाराम, जाति जाट, निवासी ढाकों का तला तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :- 1.प्रभूराम 2.जेरामाराम पि.धनाराम जाति जाट 3.कौशला 4.लुभा 5.सुरता पि.रामा कौम जाट, निवासी लछिये का तला 6.तहसीलदार सेड़वा

वकील प्रार्थीगण :- श्री फताराम गोदारा

वकील विप्रार्थीगण :- श्री ठाकराराम कड़वासरा

सहायक कलक्टर सत्यमेव जयते चौहटन

निर्णय

दिनांक 29.06.18

प्रार्थीगण नानगाराम पुत्र चिमनाराम, जाति जाट, निवासी ढाको का तला, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सदभावी काश्तकार है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी एवं कब्जे काश्त जोत मौजा ढाको का तला, तहसील सेड़वा के खसरा सं. 366/293 रकबा 45.01 बीघा भूमि पर आने जाने हेतु विप्रार्थीगण के खसरा सं. 751/113 रकबा 65.03 बीघा, खसरा सं. 752/113 रकबा 06.00 बीघा में से रास्ता चाहिए। जिस हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। पत्रावली राजस्व लोक अदालत /कोर्ट कैम्प 2018 कैम्प सेड़वा में पेश हुई। विप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ठाकराराम ने वकालतनामा पेश किया । प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया जिस पर विप्रार्थीगण वकील को कोई आपति नहीं होने के कारण तहसीलदार सेड़वा को उक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया।

सहायक कलक्टर

पत्रावली राजस्व लोक अदालत /कोर्ट कैम्प 2018 कैम्प बामणोर में पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित हुए। तहसीलदार सेड़वा से उक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा प्राप्त प्राप्त हुई, जो शामिल पत्रावली की गई। उभयपक्षकारों ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया कि हम प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण में आपस में राजीनामा हो गया है। हम अप्रार्थीगण आपसी सहमति से प्रार्थीगण को निःशुल्क सार्वजनिक रास्ते हेतु भूमि देना चाहते है। अतः निःशुल्क रास्ते के आदेश प्रदान करावे।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । सलंग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया ।

जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी के खेत से गांव , आबादी, बस स्टेशन , स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

अतः प्रार्थीगण की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है। उसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि बीघा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	752/113	06.00	सि.सड़क पर	20.00 फीट	00.01	लछिये का तला	प्रभूराम, जेरामाराम पि. धनाराम, कौशा, लूभा, सुरता पि. रामा, कौम जाट, लछिये का तला खातेदार
2	751/113	65.03	सि.सड़क पर	20.00 फीट	01.02	लछिये का तला	प्रभूराम पुत्र धनाराम, जाट, सा.देह खातेदार। रहन एसबीआई सेड़वा

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा वर्णित उपरोक्त खसरा नं. 752/113 व 751/113 के अंदर से जो रास्ता चाहा गया है वह आंशिक नक्शा में हरा रंग से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से

प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमति पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। चूंकि पक्षकारों में आपसी सहमति हो गई है तथा प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण प्रार्थीगण को निःशुल्क रास्ता देने हेतु तैयार है। इसलिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं किया जाना है।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस हरा रंग से दर्शाया गया 20.00 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थी को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में **"रास्ता"** के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।
2. प्रार्थीगण को उक्त चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
3. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया तथा 20.00 फीट चौड़ा रास्ता दिए जाने का आदेश आज दिनांक 29.06.2018 को लोक अदालत /कोर्ट कैम्प बामणोर में दिया जाता है। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे । निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

क्रमांक – रीडर/2018/1614 दिनांक 9/7/18

प्रेषित :–

तहसीलदार सेड़वा

विषय :– राजस्व आवेदन सं. 166/18 अनवान नानगाराम वगैरा बनाम प्रभूराम वगैरा में न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.06.2018 की पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में विचाराधीन आवेदन सं. 166/18 अन्तर्गत धारा 251 (क) Rt Act में निर्णय दिनांक 29.06.2018 को पारित किया गया है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.06.2018 की पालना करते हुए पालना रिपोर्ट की सूचना 15 दिवस में पेश करे।

संलग्न :– निर्णय की प्रमाणित प्रति।

चौहटन

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन
(SDO) चौहटन

फर्द मौका

आज दिनांक 23/6/2018 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौहटन के आवेदन सं 166/18 अनवान नानगाराम बनाम प्रभुराम अन्तर्गत धारा 251 A RTA Act में श्रीमान SDO सा चौहटन के पत्रांक/1356 दि 13.6.2018 व श्रीमान् तहसीलदार सेड़वा के आदेश क्रमांक मु.अ./रा./दि 19/6/18 की पालना में वादी नानगाराम द्वारा अपने खातेदारी खेत खसरा 366/293 में चाहे गये निकटतम रास्ते की मौका जांच हेतु हमराह पटवारी भाकिया, वादी व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में चाहे गये ग्राम लाधियों का तला के खसरा नं 751/113 754/113 रकबा क्रमशः 65.03, 6.00 बीघा के मौके पर पहुंचे।

प्रार्थी के चाहे गये निकटतम रास्ते हेतु ग्राम लाधियों का तला के खसरा 751/113 754/113 ग्राम भाडों का तला के खसरा नं 111 गैर मुमकिन गोचर व प्रार्थी के खातेदारी खेत के बीच स्थित है यही निकटतम दूरी है जिसका विवरण इस प्रकार है —

खातेदार का नाम व पता व ग्राम लाधियों का तला	खसरा	कुल रकबा बीघा	रास्ते की चौड़ाई फुट में	रास्ता निकलने में भूमि का रकबा	DLC दर	लगाई गई कुल कीमत (मुआवजा)	भूमि की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

क्र.	खातेदार का नाम व पता व ग्राम लाधियों का तला	खसरा	कुल रकबा बीघा	रास्ते की चौड़ाई फुट में	रास्ता निकलने में भूमि का रकबा	DLC दर	लगाई गई कुल कीमत (मुआवजा)	भूमि की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रभुराम जैरामाराम पि० धनाराम कौम जाट लुंभाराम सुरताराम पि० रामा कौम जाट ...	754/113	6.00	20	0.01 बीघा	35550	3555	सिंचित
2	प्रभु व धना कौम जाट [illegible] खातेदार [illegible]	751/113	65.03	20	1.02 बीघा	35550	78210	सिंचित

संलग्न नक्शा में दर्शाये गये हरे रंग ग्राम भाडों का तला के खसरा 111 गैर मुमकिन गोचर है व लाल रंग ग्राम पंचायत भाकिया द्वारा निर्मित ग्रेवल सड़क है जो 65 फुट है व खसरा 117 ग्राम लाधियों का तला के कांकड़ तक प्रभु व धना की खातेदारी भूमि है एवं खसरा 754/113 में से 0.01 बीघा प्रभुराम जैरामाराम पि० धनाराम कौम जाट लुंभाराम सुरताराम पि० रामा की खातेदारी भूमि है। खसरा 754/113 की प्रस्तावित रास्ते के प्रस्तावित को हरा पहाड़ी रंग से खसरा 751/113 की प्रस्तावित भूमि हरा पहाड़ी व आसमानी रंग से दर्शायी गयी है। प्रस्तावित भूमि में कोई कीमती पेड़ व बाड़ा आदि नहीं है। प्रतिवादीगण निर्धारित प्रतिफल लेकर रास्ता देने व वादीगण प्रतिफल देकर रास्ता लेने हेतु सहमत है। खातेदारी में ग्रेवल सड़क आतीरिक्त लगभग 80 गज है। फर्द मौका पढ़कर सुनायी जाकर हस्ताक्षर व अंगूठा निशान कराये।

वादी — नि. नानगाराम

नि. प्रभुराम

नि. ... प्रतिवादी

नि. ...राम

पटवारी हल्का भाकिया 23/6/18

भू.अ. निरीक्षक

CS R 29/6/18

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

नक्शा शिजरा (आंशिक गांव ... की कानूनगो ... तहसील ... पैमाना 1 = 20 गट्ठे)

नक्शा शिजरा (आंशिक गांव ... कानूनगो ... तहसील ... पैमाना 1 = 20 गट्ठा)

सहायक कलेक्टर (SDO)

23/6/18
पटवारी

26/6/18